रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-29032021-226219 CG-DL-E-29032021-226219

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1297]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 29, 2021/चैत्र 8, 1943 NEW DELHI, MONDAY, MARCH 29, 2021/CHAITRA 8, 1943

No. 1297]

## वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

# अधिसूचना

नई दिल्ली. 29 मार्च. 2021

सं. 36/2021-सीमाशुल्क (गै.टै.)

का.आ. 1402(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 149 के तीसरे परंतुक के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 46 की उप-धारा (3) के दूसरे परंतुक के अंतर्गत प्रस्तुत बिल ऑफ एंट्री में निम्नलिखित संशोधन को विनिर्दिष्ट करता है, जिसे आयतकर्ता सामान्य पोर्टल पर कर सकता है:-

- (i) बिल ऑफ एंट्री में बिल ऑफ लेडिंग के ब्यौरे का सम्पूरण।
- 2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. 450/77/2021-सीमाशुल्क IV] आनंद राधाकष्णन, उप सचिव (सीमाशुल्क)

1898 GI/2021 (1)

#### MINISTRY OF FINANCE

### (Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th March, 2021

#### No. 36/2021-Customs (N.T.)

- **S.O. 1402(E).**—In exercise of the powers conferred by the third proviso to the section 149 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby specifies the following amendments in the bill of entry presented under the second proviso to the sub-section (3) of section 46 of the said Act, which may be done by the importer on the common portal:-
  - (i) Supplementing of Bill of Lading details in the Bill of Entry.
- 2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 450/77/2021-Cus.IV]

ANANTH RATHAKRISHNAN, Dy. Secy. (Customs)